सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन, 1947 (श०)

संख्या - 457 राँची, मंगलवार, 7 अक्टूबर, 2025 (ई०)

## कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

---

संकल्प

26 अगस्त, 2025

**संख्या-5/आरोप-1-125/2017 का०- 5113--**श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, कोटि क्रमांक-250/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुरडेग, सिमडेगा, सम्प्रति-मृत के विरूद्ध उपायुक्त, सिमडेगा के पत्रांक-51(i)/ जि०ग्रा०, दिनांक- 05.10.2017 द्वारा आरोप प्रपत्र- 'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में श्री कुमार के विरूद्ध मनरेगा अधिनियम का उल्लंघन एवं योजना सं0-29/15-16 तथा 31/15-16 में अवैध रूप से राशि की निकासी एवं गबन करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया है। उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक- 11274, दिनांक 09.11.2017 एवं स्मार पत्रों द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गई, किन्तु उनके द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं किया गया। फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं0-1883(HRMS), दिनांक 23.02.2021 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई ।

श्री कुमार का निधन हो जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित अभिलेख जाँच पूर्ण किये बिना ही विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-397, दिनांक 13.07.2025 द्वारा विभाग को वापस कर दिया गया ।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर के पत्रांक- 421, दिनांक 21.07.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मनोज कुमार, भूतपूर्व कार्यपालक दण्डाधिकारी, देवघर की मृत्यु उनके सेवाकाल में दिनांक 21.06.2025 को हो गयी है ।

भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली के पत्र, दिनांक 20 अक्टूबर, 1999 में निम्न प्रावधान है-

"The undersigned is directed to say that this Department has been receiving references seeking clarification whether disciplinary cases initiated against the Government servant under CCS (CCA) Rules, 1965, could be closed in the event of death of the charged officer during pendency of the proceedings. After careful consideration of all the aspects, it has been decided that where a Government servant dies during the pendency of the inquiry i.e. without charges being proved against him, imposition of any of the penalties prescribed under the CCS (CCA) Rules, 1965, would not be justifiable. Therefore, disciplinary proceedings should be closed immediately on the death of the alleged Government servant."

अतः, समीक्षोपरांत उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, कोटि क्रमांक-250/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुरडेग, सिमडेगा, सम्प्रति मृत के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री मनोज कुमार, सम्प्रति- मृत के आश्रित एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अनल प्रतीक मिंज,**
सरकार के संयुक्त सचिव ।

---

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 457 - 50